संख्या-14/2017/क0नि0-4-1244/11-2017-300(38)/17

प्रेषक,

मो0 मारूफ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनु0-4 **लखनऊ: दिनाँक 20 नवम्बर, 2017**

विषय :- 01 इनोवा वाहन क्रय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-बी-4-वाहन क्रय-इनोवा वाहन क्रय-प्रस्ताव-2017-18/3791/वाणिज्य कर, दिनांक 27.09.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर विभाग में निष्प्रयोज्य घोषित वाहन सं0-यू.पी.32 ए0जी0 0024 (स्पैशियो) के प्रतिस्थापनस्वरूप 01 इनोवा वाहन मॉडल क्रिस्ता 2.4 जी एक्स 7 सीटर क्रय किए जाने हेतु कुल रू0-13,16,890.00 (रुपया तेरह लाख सोलह हजार आठ सौ नब्बे मात्र) व्यय किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल एतद्द्वारा प्रदान करते हैं :-

(i) क्रय किए जाने वाले वाहन की गुणवत्ता, जी0ई0एम0 दर एवं जी0ई0एम0 दर की वैधता की अवधि कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।

(ii) प्रस्तावित वाहन का उपयोग विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र सं0-यू0ओ0-ई-9-406/दस-2017 दिनांक 16 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-14/2017/क0नि0-4-1244(1)/11-2017 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।

4- एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।